



330

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर [म०प्र०]

प्र.क्रं. निगरानी /2012

R-3533-2/12

2-3533-2/12

कलेक्टर शंजापुर
श्रेणी ~~252-2~~
24 SEP 2012
अधीनस्थ / कलेक्टर

सईद बां पिता छोटखुर्वा आयु 60 साल जाति
जाति मुसलमान निवासी ग्राम पिपलिया नगर
तहसील कालापिपल जिला शंजापुर [म०प्र०]

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

जीवनसिंह पिता गोपालसिंह आयु 40 साल
जाति भानुमती निवासी ग्राम पिपलिया नगर
तहसील कालापिपल जिला शंजापुर [म०प्र०]

विपक्षी

2980

आज
9-10-12

गुजरात राजस्व मंडल
ग्वालियर

प्रथम निगरानी आवेदन पत्र आगामी धारा

50 भू रा.सं. 1959 विरुद्ध न्यायालय -
तहसीलदार तहसील कालापिपल के प्रकरण क्रं.

21 अ 12 /2011- 2012 जीवनसिंह पिपलिया

नगर विरुद्ध म०प्र० शासन मे पारित अंतिम

आदेश दिनांक 23/6/2012 से अस्तुष्ट
एवं दूखी होकर ।

माननीय महोदय ,

निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

॥१॥ यह कि निगरानीकर्ता के पडौसी कृषक / विपक्षी द्वारा उसके
भूमि स्वामी स्वत्व आधिकार्य की कृषि भूमि खाता क्रमांक 34। वर्ष 2011
2012 सर्वे क्रमांक 122 /1 /1 रकबा 0.628 सर्वे नंबर 123/1 रकबा
1.097 , सर्वे नंबर 123/2 रकबा 0.826 कुल 3 रकबा 2.561 है लगानी


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3533-एक/12

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	